कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-239 दिनांक: 21/8/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 29..वीं दिनांक..8/8/2002का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.29वीं दिनांक.8/8/2002.प्रात:/~~सायं~~.11:30.बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 29वीं बैठक दिनांक 8-8-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

1. विषय:- नव जीवन गृ.नि.स.स. की योजना दादा बाडी व जय चामुण्डा गृ.नि. स.स. की योजना बन्धू नगर बाबत।

उपायुक्त जोन बी-3, द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये-

(1) नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना दादाबाडी के भूखण्ड संख्या 45 के सडक के भाग को निरस्थ करते हुए बन्धूनगर को सीकर रोड से लिंक किया जाये।

(2) लिंक करने से भूखण्ड संख्या 45 का 206.67 व.ग. भूमि कम होती है इस हेतु उपायुक्त बी-3 को अधिकृत किया गया कि प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 45 के उत्तर दिशा में 945.5 व.ग. का जो भूखण्ड उपलब्ध है जो कि अनुमोदित मानचित्र में सोपिंग सेन्टर के रूप में अनुमोदित है। उसमें 45'ए' नया भूखण्ड सृजित कर भूखण्ड संख्या 45 के आवंटी को दिया जाये बशर्ते उपायुक्त बी-3 इस प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के बारे में संतुष्ट हो ले।

(3) अनुमोदित मानचित्र में खातेदार की लगभग 2300 व.ग. भूमि को अस्वीकृत किया हुआ है जिसके अनुमोदन के संबंध में प्रार्थी द्वारा आवेदन किया जाने पर उपायुक्त अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(4) अनुमोदित योजना के उत्तर में तिकोना भूखण्ड का क्षेत्रफल 3978.10 व.ग. का सुविधा क्षेत्र दिखाया गया है। शिक्षा संस्थान को देने के संबंध में तय किया गया कि संस्था द्वारा आवेदन करने पर सक्षम स्तर पर इसकी कार्यवाही की जाये

2. विषय:- भूखण्ड संख्या बी-77, बी-78, बी-97,बी-98,एवं बी-125, योजना 11वीं सुदामापुरी(मोती भवन गृ.नि.स.स.) के संशोधन बाबत।

भवन मानचित्र समिति की बैठक 12-6-2002 में उक्त योजना का अनुमोदन किया गया था और उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुये अन्यत्र समायोजन करने का निर्णय लिया गया परन्तु चूंकि सभी भूखण्ड उपविभाजित थे। अत: दूसरी जगह पर इनका समायोजन संभव नहीं हो सका। अत: उपरोक्त पांचों भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करते हुए यथावत अनुमोदित किया गया।

3. विषयः– हनुमान नगर 'एस' सिरसी रोड जयपुर के मानचित्र में संशोधन बाबत।

उपायुक्त जोन बी–6, द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा, बताए गये तथ्यों एवं मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। वाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये–

योजना के दक्षिण में 40 फिट की रोड एक तरफ से वित्त विहार कॉलोनी और दूसरी तरफ से गुलमोहर लैन कॉलोनी के कारण बन्द है तथा भूखण्ड संख्या 21, 22, व 20 के मध्य 30 फिट की रोड बन्द है। इन दोनों को समाप्त करते हुए उपलब्ध भू–भाग को भूखण्डों में शामिल करते हुए संशोधित मानचित्र अनुमोदित किया गया और शामिल की गयी भूमि का शुल्क नियमानुसार लिया जाये।

<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।</u>

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 08.08.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से लालकोठी योजना में स्थित कृष्णापुरी गृ.नि.स.स. की स्कीम नम्बर 4 (कृष्णानगर I) योजना के अनुमोदन के संबंध में एजेन्डा प्रस्तुत किया गया।

लालकोठी योजना में स्थित कृष्णापुरी गृ.नि.स.स. की स्कीम नम्बर 4 (कृष्णानगर I) के अनुमोदन के संबंध में योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष उपायुक्त लालकोठी द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. भूखण्ड संख्या एस-2 से एस-4, बी-5-ए से बी-12, ए-25 से ए-27, बी-30 से बी-33 के मध्य स्थित सडक को 30 फिट किया जावें।
2. उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि सर्वे मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड संख्या SIA, SIB, SIC, SID, एवं भूखण्ड संख्या A-1, A-2 व इन भूखण्डों के दक्षिण में स्थित भूखण्ड जिन्है समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में "Other Land" दिखाया गया हैं, का अवार्ड दिया जा चुका हैं अथवा नही, के बारे में जानकारी नहीं है। अत: समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपायुक्त लालकोठी द्वारा सभी तथ्यों का इस परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जावें तब तक इन भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की जावें।
3. भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-11 के सामने स्थित सडक को 30 फिट किया जाने के बारे में सिद्वान्ततः सहमति प्रदान की गयी किन्तु भूखण्ड संख्या ए-8, ए-9, ए-10, ए-11 के सामने 10' सडक को 30' चौडा किये जाने के कारण रोड एलाइन्मेंट के संबंध में निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डों के आस पास का Detailed Survey जोन स्तर पर करवाया जावें एवं इस भाग में रोड एलाइन्मेंट इस तरह तय किया जावें ताकि निर्मित भूखण्ड कम से कम प्रभावित हों। इस संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्ताव बनाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें एवं तब तक भूखण्ड संख्या ए-8, ए-9, ए-10, ए-11 के नियमन की कार्यवाही को स्थगित रखा जावें।
4. भूखण्ड संख्या डी-18, बी-13 व बी-12 में जनपथ की ओर सैट बैक जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार रखें जावें।
5. योजना में स्थित अन्य सभी सडकों को कम से कम 30' किया जावें इन सडकों को चौडा करने से प्रभावित निर्मित भूखण्डों के विरूद्व उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावें।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि लालकोठी योजना में प्रस्तावित 80' चौडी सडक (जनपथ) की वांछित चौडाई करने के लिए एवं भूखण्ड संख्या बी-8 से बी-12 के उत्तर में स्थित सडक को 30' किये जाने में श्री दुर्गालाल बिजलीवाला (कूलवाल) की जमीन में से कुछ भूमि ली जानी होगी जो कि योजना का भाग नहीं हैं। इस संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस संबंध में श्री दुर्गालाल बिजलीवाला व राज्य सरकार के मध्य श्री दुर्गालाल बिजलीवाला की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के समय हुए समझौते के मुताबिक श्री

दुर्गालाल बिजलीवाला(कूलवाल) के स्वामित्व की 1 बीद्या 17 बिस्वा भूमि में से 866.66 वर्ग गज एवं 324.45 वर्ग गज कुल 1191.11 वर्ग गज भूमि ली जानी हैं। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 80' व 30' सडक को चौडा करने में इस भूमि को लिया जावें।

7. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना में टोंक रोड के इस भाग की चौडाई को 120' रखते हुए इस योजना में टोंक रोड पर स्थित दुकानों का नियमन नहीं किया जावें।

8. राज्य सरकार के आदेश कमांक 3(32)नविवि/3/2001 जयपुर दिनांक 6.12.2001 के द्वारा लाल कोठी योजनान्तर्गत अवैद्य निर्माण/अतिकमणों के नियमन के परिणाम स्वरूप लालकोठी के मूल योजना मानचित्र में हुए परिवर्तन को एक साथ (Piece Meal मे ना करके Totality में) P.W.C. से अनुमोदन करवाया जावें।

9. माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गयी मौका निरिक्षण रिपोर्ट के संदर्भ मे निम्न निर्णय लिये गये :-

   (i) लालकोठी योजना में स्थित सभी सत्य विहार, रद्युविहार, इन्द्रपुरी योजना, कृष्णा नगर प्रथम एवं द्वितीय में सभी सडकें तकनीकि दृष्टि से परीक्षण कर कम से कम 30 फिट चौडी की जावें।

   (ii) लाल कोठी योजना में भूखण्डधारकों द्वारा सडक सीमा में बनाये गये रैम्प, द्री गार्ड व गार्डन को हटाने के बारे में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा सर्वप्रथम भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावें। तत्पश्चात सडक बनाने के समय इस संबंध में कार्यवाही एक अभियान के रूप में की जावें।

   (iii) मुख्य टोंक रोड पर गहलोत गार्डन के पास व एवरेस्ट कालोनी के बीच 60' सडक पर किये गये अतिकमण (प्याउं व मंदिर की ओर से बढ रहे अतिकमण) के बारे में उपायुक्त द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 के अंतर्गत कार्यवाही की जावें।

   (iv) सत्य विहार योजना के भूखण्ड संख्या 6, 8, 15, 16-ए व 20 के अग्रसैट बैक 30' लिंक रोड की तरफ जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार रखा जावें।

10. भूखण्डों के बढे हुए क्षेत्रफल के संबंध में कार्यवाही बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 17.7.2002 के अनुसार की जावें

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 08.08.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की गोविन्द विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में ग्राम हाथोज, तहसील सांगानेर।
2. विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना सर्वोदय कालोनी के अनुमोदन के संबंध में।

शंकर भवन गृ.नि.स.स. की गोविन्द विहार योजना ग्राम हाथोज, तहसील सांगानेर व विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना सर्वोदय कालोनी के एजेन्डा को समयाभाव के कारण विचार विमर्श हेतू आगामी बीपीसी (ले आउट प्लान) बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 29वीं बैठक दिनांक 8-8-02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: अशोकपुरा गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	: सुजन विहार
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: ग्राम सोढाला, ख.नं. 111 से 115
4.	सैक्टर नंबर जोन B-2	:

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

1- योजना की भूमि पृथक पार्ट सी की अवाप्ती में है इसलिए इसका निर्णय होने के पश्चात् योजना का नियमन किया जावे।

2- अधिक भूमि के लिए नियमानुसार शुल्क लिया जावे।

3- योजना के अन्दर 30-0" से कम चौडी सडकों को कम से कम 30 फीट चौडा किया जावे।

4- राज्य सरकार के निर्णयानुसार आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता प्रदान करते हुए शेष योजना को स्वीकृत किया जावे।

5- भूखंड संख्या 26 के उत्तर की सडक की चौडाई 25-0" की जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 29वीं बैठक दिनांक 8-8-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषयः- न्यू पिंक सिटी गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना बरकत नगर के भू॰सं॰ 500 के उपविभाजन की स्वीकृति के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपविभाजित तीनों भूखण्डों के भूखण्डधारियों को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे । तत्पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे ।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 29वीं बैठक दिनांक 8-8-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
3. श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
4. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
5. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
2. श्रीमती आशा अवस्थी, कार्यवाहक वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री निरजंन खींचा,उपायुक्त जोन लालकोठी, जविप्रा,जयपुर।
6. श्रीमती सीमा सिंह, उपायुक्त जोन बी-2, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
10. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, लालकोठी,जविप्रा,जयपुर।
11. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
12. श्री ज.ना.वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
13. सहायक नगर नियोजक, जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री एस.सी. मीणा, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।